विधानसभा प्रश्न
अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमांकः एफ.16(वि.प्र.)विधि/निकाशि/2012/ 49-56 दिनांक 17-4-2012

समस्त सहायक निदेशक,
क्षेत्रीय कार्यालय कालेज शिक्षा,
जयपुर/जोधपुर/ कोटा/उदयपुर/अजमेर/बीकानेर

विषयः– विधान सभा प्रश्न संख्या 4697/विधि एवं विधिक कार्य अतारांकित द्वारा श्री रमेश चन्द्र मीणा (35) विधान सभा सदस्य

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विधान सभा प्रश्न संख्या 4697/विधि एवं विधिक कार्य अतारांकित द्वारा श्री रमेश चन्द्र मीणा (35) विधान सभा सदस्य के बिन्दू संख्या 1व 2 निम्नानुसार अंकित है ।

1– न्यायालय के निर्णय के अनुसार किये गये भुगतान में वर्ष 2009–10व 2010–11 एवं 2011–12 में एक लाख से अधिक का भुगतान किस–किस को किया गया ?

2– उक्त भुगतान के कारण जिम्मेदार कारणों की पुर्नावृति रोकने हेतु क्या–क्या कदम उठायें ?

बिन्दू संख्या 1 और 2 से सम्बधित सूचना क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/अजमेर/बीकानेर में स्थित समस्त राजकीय महाविद्यालयों से प्राप्त कर निदेशालय विधि अनुभाग को दिनांक 20.4.2012 तक डाक/फैक्स द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चत करावें । इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें ।

भवदीय,

उपविधि परामर्शी,
कॉलेज शिक्षा, जयपुर।

कमांकः एफ.16(वि.प्र.)विधि/निकाशि/2012/ 55-56
दिनांक 17-4-2012

प्रतिलिपि समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि विधान सभा प्रश्न संख्या 4697 के बिन्दू संख्या 1 ,2 की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से निदेशालय को भिजवाने का श्रम करे ।

2. धीरेन्द्र देवर्षि ,व्याख्याता कालेज शिक्षा जयपुर को दी जाकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की बेबसाईट पर अपलोड कराये जानें का श्रम करें ।

उपविधि परामर्शी